तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2006/1691/जैसलमेर चतुरसिंह बनाम केसरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
13.11.2024	**एकल–पीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **–आदेश–** हस्तगत् निगरानी भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी केसरसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम कुछडी के खेत खसरा नम्बर 639 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि के बाबत के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया गया। दौराने कार्यवाही प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 व आदेश 13 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत हाबुर के दो प्रस्ताव दिनांक 06–9–1995 व 4–6–1998 की कार्यवाही विवरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने का कथन किया गया। जिस पर सम्बन्धित ग्राम सेवक द्वारा दिनांक 21–9–2005 को उक्त दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र पेश किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र पेश नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं कारण रहित आदेश से खारिज किया है। अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कुछडी के खेत खसरा नम्बर 639 रकबा 34.15 बीघा उसकी खातेदारी भूमि है जिसके चिपते खेत खसरा नम्बर 639, 636/1184, 635, 636 से होकर बरसाती पानी जरिये बाहलियो (मगरो) प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 639 में प्रवेश करता है। उक्त मगरो का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में किया जावे। दौराने कार्यवाही प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 व आइदेश 13 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश	

	किया गया कि प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा बतौर प्रदर्श 5 व 7 जो दस्तावेज पेश किये गये है वह फर्जी है जिनके समर्थन में ग्राम सेवक एवं पदेन ग्राम सचिव पंचायत हाबुर का प्रमाण पत्र दिनांक 21–9–2005 को रिकार्ड पर लिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि कथित प्रमाण पत्र दिनांक 21–9–2005 के समर्थन में सम्बन्धित ग्राम सेवक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 1 व आदेश 13 नियम 1 की मंशा के विपरीत है क्योंकि उपरोक्त प्रावधनों में दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने के सम्बन्ध में व्यखित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में दस्तावेजो को रिकार्ड पर लिये जाने के समर्थन में शपथ पत्र पेश करने की बाध्यता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र ग्राम सेवक हाबुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 21–9–2005 पर रिकार्ड पर नहीं लिये जाने की मंशा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधनों के विपरीत सरसरी व फौरी तौर पर खारिज किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। अतः प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत हाबुर का प्रमाण पत्र दिनांक 21–9–2005 को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अद्योपांत अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 1 व आदेश 13 नियम 1 सपठित धारा 151 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए ग्राम पंचायत हाबुर के दो प्रस्ताव दिनांक 06–9–1995 व दिनांक 04–6–1998 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र पेश करने का कथन किया गया। सम्बन्धित ग्राम सेवक हाबुर द्वारा दिनांक 21–9–2005 को प्रमाण पत्र जारी करते हुए अभिलिखित किया गया कि दिनांक 6–9–1995 व 4–6–1998 को ग्राम पंचायत हाबुर में कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र को रिकार्ड पर इस आधार पर नहीं लिया गया कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र के साथ ग्राम सेवक का शपथ पत्र पेश नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 8 नियम 1 व आदेश 13 नियम 1 का अवलोकन किया। इस सम्बन्ध में आदेश 8 नियम 1 ए मे अभिलिखित किया गया है कि–*1 A. Duty of defendant to produce documents upon which relief is claimed or relied upon by him.- (1) Where the defendant bases his defence upon a document or relies upon any document in his possession or power, in support of his defence or claim for set off or counter claim, he shall enter such document in a list and shall produce it in the document and a copy thereof, to be filed with the*	

written statement.

इसी प्रकार आदेश 13 नियम 1 में अभिलिखित किया गया है कि– *1. Original documents to be produced at or before the settlement of issues. (1) The parties or their pleader shall produce on or before the settlement of issues, all the documentary evidence in original where the copies thereof have been filed along with plaint or written statement.*

उपरोक्त दोनों विधिक प्रावधानों में न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णयन हेतु सहायक दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने के प्रावधान निहित है परन्तु न्याय निर्णयन हेतु सहायक दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु सम्बन्धित दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्ति विशेष का शपथ पत्र संलग्न किये जाने के सम्बन्ध में कोई बाध्यता निर्धारित नहीं की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को केवल मात्र इस आधार पर खारिज किया जाना ही सम्बन्धित ग्राम सेवक द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 21–9–2005 के समर्थन में शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है, उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में चूंकि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06–9–1995 व दिनांक 04–6–1998 की कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में सूचना न्याय निर्णयन में सहायक होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर का आक्षेपित आदेश दिनांक 21–12–2005 अपास्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 व आदेश 13 नियम 1 सपठित धारा 151 स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत हाबुर का प्रमाण पत्र दिनांक 21–9–2005 को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर अभिभाषक को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य